तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील
19/9/24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय वकील उप० प्रतिवादी वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा वाद-पत्र विड्रोल करने बाबत पर सुना गया। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण की ओर से पाबूलाल आदि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद-पत्र पेश किया था। वाद-पत्र पेश होने के बाद पक्षकारान आपसी के मध्य लोक भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा हो गया है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो चुका है, अब विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं है। इस कारण वादीगण अपना वाद-पत्र आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अंत में निवेदन किया कि वादीगण का वाद-पत्र बारिह राजीनामा विड्रोल खारिज किया जावें। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं कर बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर राजीनामा हो चुका है, अब कोई विवाद शेष नहीं है। इस कारण वाद-पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमने उभय-पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस पर मनन किया [illegible] पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] अवलोकन किया। [illegible] पक्षकार सहायक कलक्टर (S.D.O) बालोतरा	अं.नि. मांगीलाल S/o ... अं.नि. सेगाराम I.D. [illegible]

(left margin) तेजकर सिंह (वकील)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:02 IST
Reason: SelfAttested

85/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को मध्य विवादित आराजी को लेकर राजीनामा हो गया है, अब विवादित आराजी को लेकर कोई वाद-विवाद नहीं है, यह उक्त तथ्य स्वयं वादीगण को स्वीकार योग्य है। इससे स्पष्ट है, कि वाद हेतुक समाप्त हो चुका है। उक्त प्रकरण को आगे चलाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि लोक अदालत की भावना से हुआ राजीनामा सदैव विवादों की श्रृंखला को रोकता है, अतः ऐसी स्थिति में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 01 उपनियम 01 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश किए जाते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उक्त वर्णित नियम 01 के उपनियम 04 के खण्ड (क) में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधान के अनुसरण में वादीगण नया वाद संस्थित करने से प्रवारित (Precluded) होगा। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 19/9/24 सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:02 IST
Reason: SelfAttested